(५)

प्रकरण संख्याः 30/2022
तोफा देवी वगै. बनाम जगदीश
निर्णय दिनांकः 09.01.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	30/2022
दायर दिनांक	:	14.07.2022
निर्णय दिनांक	:	09.01.2023

उनवान

1. तोफा देवी पत्नी हनुमान, जाति माली, निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा जिला दौसा
2. नवरत्न पुत्र हनुमान, जाति माली, निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा जिला दौसा
3. नानगराम पुत्र हनुमान, जाति माली, निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा जिला दौसा
4. अर्जुन पुत्र हनुमान, जाति माली, निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा जिला दौसा
5. प्रेम पुत्री हनुमान, जाति माली, निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा जिला दौसा
6. सत्नी पुत्री हनुमान, जाति माली, निवासी दौसा कलाँ तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र पूनीराम, जाति माली, निवासी दौसा कलाँ, तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता : श्री जयन्त जोशी
श्री योगेश कुमार सैनी

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी एक ही जगह के रहने वाले हैं एवं ग्राम दौसा कलाँ में आराजी खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 1923 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 1924 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1925 रकबा 0.03 है. गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 1926 रकबा 0.02 है. गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 1927 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 1928 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 1929 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 1930 रकबा 0.30 है. कुल किता 9 कुल रकबा 1.77 है. स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में अर्जुन पुत्र हनुमान का 1/18 हिस्सा, किशोर पुत्र पूनीराम का हिस्सा 1/3, जगदीश पुत्र पूनीराम का हिस्सा 1/3, तोफा देवी पत्नी हनुमान का हिस्सा 1/18, नवरत्न पुत्र हनुमान का हिस्सा 1/18, नानगराम पुत्र हनुमान का हिस्सा 1/18, प्रेम पुत्री हनुमान का हिस्सा 1/18, सन्ती पुत्री हनुमान का हिस्सा 1/18 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का अभी तक विधिवत् रूप से तकास्मा नहीं हुआ है, बाहमी तौर पर खातेदारान् ने तकास्मा कर हिस्से अनुसार उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने अनेकों बार अप्रार्थी को आराजीयात का विधिवत् रूप से तकास्मा करने को कहा परन्तु अप्रार्थी टालमटोल करता रहा। अप्रार्थी ने दिनांक 11.07.2022 को तकास्मा कराने से इन्कार कर दिया और विवादित भूमि में पुख्ता निर्माण करने तथा अपने हिस्से की आराजी दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की बात कही। अप्रार्थी अपनी इस बेजा व नाजायज कार्यवाही में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण के जायज व कानूनी अधिकारों का हनन होगा। इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय का संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि अप्रार्थी को जरिए अस्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबन्धित किया जावे कि जब तक आराजीयात का विधिवत रूप तकास्मा न हो जावे तब तक आराजीयात के किसी भी हिस्से व भू–भाग पर कोई पुख्ता निर्माण न करे न कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करें और न किसी हिस्से व भू–भाग का किसी भी प्रकार से रहन बय व विक्रय न करे तथा मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत् रखे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा की तुला व अपूर्णीय क्षति स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अतः अप्रार्थी को वाद के निर्णय तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम दौसा कलाँ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 कुल किता 9 कुल रकबा 1.77 है॰ के किसी भी हिस्से व भू–भाग पर कोई पुख्ता निर्माण न करे व कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करे और न किसी हिस्से व भू–भाग का किसी भी प्रकार से रहन बय व विक्रय न करे तथा मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी बाहमी तकास्मे अनुसार आयी भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी ने कभी तकास्मा कराने से इंकार नहीं किया बल्कि मौके व कब्जे अनुसार तकास्मा किया जाता है, तो अप्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं है। अप्रार्थी ने कोई पुख्ता निर्माण नहीं किया है, बल्कि प्रार्थी ने अन्तरिम टीआई की आड में आदेशों की अवहेलना करते हुए दिनांक 25.04.2022 को खसरा नम्बर 1925, 1926, 1927 में पुख्ता डण्डे का निर्माण कर लिया है तथा खसरा नम्बर 1922, 1923, 1928, 1929 में तारबन्दी कर ली है, जबकि अप्रार्थी ने विवादित भूमि में कोई निर्माण नहीं किया है। तथाकथित दिनांक 11.07.2022 को तकास्मा कराने से इंकार करने व निर्माण करने व विक्रय करने का तथ्य बिल्कुल असत्य व बनावटी है। प्रार्थी कोई अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला :</u> पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 ग्राम दौसा कलाँ तहसील दौसा के खाता संख्या नया 655 के खसरा नम्बर 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 कुल किता 9 कुल रकबा 1.77 है॰ के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उभय पक्षों के पक्ष में साबित होता है।
2. <u>सुविधा का सन्तुलन :</u> प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी ने तकास्मा कराने से इंकार कर दिया और विवादित भूमि में पुख्ता निर्माण करने तथा अपने हिस्से की आराजी दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की बात कही। अप्रार्थी अपनी इस बेजा व नाजायज कार्यवाही में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण के जायज व कानूनी अधिकारों का हनन होगा। वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी ने कोई पुख्ता निर्माण नहीं किया है, बल्कि प्रार्थी ने अन्तरिम टीआई की आड में आदेशों की अवहेलना करते हुए निर्माण व तारबन्दी कर ली है। अप्रार्थी ने विवादित भूमि में कोई निर्माण नहीं किया है। उभय पक्षों ने बहस के दौरान प्रश्नगत आराजी पर वाद–विवाद होने की आशंका जाहिर की है। उभय पक्षों में विवादित आराजी पर एक–दूसरे के कब्जे को लेकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। यदि एक पक्ष को पाबंद किया जाता है, तो उसे दूसरे की तुलना में असुविधा होगी। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु उभय पक्षों के पक्ष में समान रूप से तय किया जाता है।
3. <u>अपूर्णीय क्षति :</u> प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा सन्तुलन का बिन्दु उभय पक्षों के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी उभय पक्षों में समान रूप से निर्धारित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 कुल किता 9 कुल रकबा 1.77 है॰ वाके ग्राम दौसा कलाँ के उभय पक्ष रिकॉर्डेड खातेदार हैं। उभय पक्षों द्वारा प्रश्नगत आराजी पर वाद–विवाद होने की आशंका जाहिर की गयी है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी उभय पक्षों के पक्ष में साबित है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षों को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा
उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:10 IST
Reason: SelfAttested